पत्रांक–2ब० / जला०–01–06 / 2013 178 / न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 10/1/2020

विषयः– **राज्य के 25 शहरी स्थानीय निकायों में पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मूल प्राक्कलित एवं स्वीकृत राशि ₹34183.775 लाख (तीन अरब इक्तालीस करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रु० मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्यादेश सं०– 47, दिनांक– 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०– 57, दिनांक– 22.09.2014 द्वारा 24 नगर निकायों में पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल ₹4515.21 लाख (पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकीस हजार रू०) मात्र में क्रमांक– 11 पर नगर परिषद्, सुल्तानगंज को आवंटित राशि ₹121.306 (एक करोड़ एक्कीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र की निकासी नहीं किये जाने की स्थिति में वित्तीय वर्ष, 2019–20 में उक्त राशि के सहायक अनुदान के रूप में पुनः स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प सं0– 93, दिनांक– 13.01.2014 तथा राज्यादेश सं0– 92, दिनांक– 04.03.2014 द्वारा क्रमशः राज्य के 24 (चौबीस) तथा एक कुल 25 शहरी स्थानीय निकायों में पेय जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः ₹33364.46900 लाख (तीन अरब तैंतीस करोड़ चौसठ लाख छियालीस हजार नौ सौ रु० मात्र) तथा ₹819.30600 (आठ करोड़ उन्नीस लाख तीस हजार छः सौ रु0) मात्र अर्थात् कुल ₹34183.775 लाख (तीन अरब इक्तालीस करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश सं0– 55, दिनांक– 20.01.2014, आवंटनादेश सं०– 78, दिनांक– 20.01.2014, राज्यादेश सं०– 96, दिनांक– 04.03.2014, आवंटनादेश सं०– 123, दिनांक– 04.03.2014, राज्यादेश सं०– 92, दिनांक– 04.03.2014, आवंटनादेश सं०– 119, दिनांक– 03.03.2014 तथा राज्यादेश सं०– 15, दिनांक– 24.07.2014, आवंटनादेश सं०– 25, दिनांक– 24.07.2014 द्वारा कुल ₹23839.83434 लाख (दो अरब अड़तीस करोड़ उनचालीस लाख तेरासी हजार चार सौ चौतीस रु0) मात्र का आवंटन किया गया था।

विभागीय राज्यादेश सं०– 47, दिनांक– 22.09.2014 एवं आवंटनादेश सं०– 57, दिनांक– 22.09.2014 द्वारा 24 नगर निकायों में पेयजलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत कुल ₹4515.21 लाख (पैंतालीस करोड़ पन्द्रह लाख एकीस हजार रू०) मात्र में क्रमांक– 11 पर नगर परिषद्, सुल्तानगंज को आवंटित राशि

₹121.306 (एक करोड़ एकीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र की राशि सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति दी गई थी।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक– 6309, दिनांक– 04.12.2019 तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज के पत्रांक– 2179, दिनांक– 04.12.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद्, सुल्तानगंज को आवंटित राशि की निकासी नगर परिषद्, सुल्तानगंज द्वारा नहीं हो सकी है। इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक– 2479, दिनांक– 22.11.2017 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उक्त राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 04 के अनुरूप प्रदत्त कुल राशि ₹819.306 लाख (आठ करोड़ उन्नीस लाख तीस हजार छः सौ रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 07 के अनुरूप वित्तीय वर्ष, 2014–2015 में स्वीकृत ₹121.306 लाख (एक करोड़ एक्कीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र की निकासी नहीं होने के कारण पुनः वित्तीय वर्ष, 2019–20 में स्तम्भ– 09 के अनुरूप कुल राशि ₹121.306 लाख (एक करोड़ एक्कीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष 2013–14	वित्तीय वर्ष 2014–15		अनिकासी की राशि	वित्तीय वर्ष, 2019–20 में स्वीकृत कुल अनिकासी की राशि
				राज्यादेश सं०– 15, दि०– 24.07.2014 एवं आवंटनादेश सं०– 25, दि०– 24.07.2014	राज्यादेश सं०– 55, दि०– 20.01.2014 आवंटनादेश सं०–78, दि०– 20.01.2014	राज्यादेश सं०– 47, दि०– 22.09.2014 आवंटनादेश सं०–57, दि०– 22.09.2014		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	नगर परिषद्, सुल्तानगंज	पेयजलापूर्ति योजना	819.306	330.00	368.00	121.306	121.306	121.306

अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹121.306 लाख (एक करोड़ एक्कीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹121.306 लाख (एक करोड़ एक्कीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे,** जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक–31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर परिषद्, सुल्तानगंज के PL खाता में राशि का हस्तांतरण CFMS के माध्यम से Inter

Departmental विधि से Online किया जाएगा। **तत्पश्चात् कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज द्वारा कार्यकारी एजेंसी, बुडको को राशि हस्तांतरित की जाएगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 61, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

8. आवंटित राशि ₹121.306 लाख (एक करोड़ एक्कीस लाख तीस हजार छः सौ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0103– पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960103 विषय शीर्ष 0103.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

9. स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–

(i) **योजना का कार्यान्वयन बुडको द्वारा कराया जाएगा।**

(ii) कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(iii) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(iv) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०–01–06/2013 के पृष्ठ सं०–...150.../टि० पर दिनांक– 03.01.2020 को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 148... /टि० पर दिनांक– 26.12.2019 को प्राप्त है ।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. जिला पदाधिकारी, भागलपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जायेगा।

14. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब/जला०–01–06/2013 178 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 10/1/2020

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सुल्तानगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/वभागीय आई0टी0 प्रबंधक को वेवासाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/प्रबंधक, एम0आई0एस0 को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

YOK